भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 624
गुरूवार, 02 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात पर्यटन को पुनः शुरू करना

624. श्री संजय राउतः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन उद्योग को कोविड-19 वैश्विक महामारी और उसके बाद लगाए गए लॉकडाउन के कारण विनाशकारी प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिससे वर्ष 2020-21 के बीच इस क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 25 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने नियमित रूप से शुरू हो जाने पर भारत एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एनसीएईआर) से "भारत और कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन में लगे परिवारों को हुए आर्थिक नुकसान और सुधार के लिए नीतियां" पर एक अध्ययन कराया था। अध्ययन के परिणामों के अनुसार, पर्यटन उद्योग को कोविड-19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण महत्वपूर्ण प्रभाव का सामना करना पड़ा।

(ग) और (घ): गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच & एफडब्ल्यू) के कोविड से संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने के इच्छुक सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है। ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा उन सभी व्यक्तिगत विदेशी नागरिकों के लिए 15 नवंबर, 2021 से पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं। शुरू में, ई-पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पहले 5,00,000 मुफ्त वीजा की घोषणा की है। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को पुनः शुरू करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो अनुबंध में दिए गए हैं।

****

अनुबंध

कोविड-19 वैश्विक महामारी के पश्चात पर्यटन को पुनः शुरू करना के संबंध में दिनांक 02.12.2021 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न संख्या 624 के भाग (ग) से (घ) के उत्तर में **विवरण**।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनसे पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है:-

कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना

पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को घोषणा के अनुसरण में, पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र **(एलजीएससीएटीएसएस)** के लिए ऋण गारंटी योजना" लागू की है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों के लिए 10.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये जारी किए जाने की गारंटी, जो भी पहले हो, तक है और 04.10.2021 को या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 31.03.2022 तक लागू होगी [राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस जारी दिशानिर्देश]। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा धन उधार देने वाले संस्थानों (एमएलआई) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास योजना (एमडीए):

पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकारों/संघ शासितक्षेत्रों के प्रशासन के पर्यटन विभाग भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस):

आरसीएस उड़ान-3 पर्यटन के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया और प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 46 पर्यटन मार्गों को शामिल किया। वर्तमान में 29 पर्यटन मार्गों संचालित किए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन मार्गों को शामिल करने और हवाई संपर्क में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही आरसीएस उड़ान-4 के तहत

78 मार्गों को अंतिम रूप दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उसके भीतर हवाई संपर्क बढ़ाना है।

सड़क संपर्क और मार्गस्थ सुविधाएं:

पर्यटन मंत्रालय ने पहले चरण में सड़क संपर्क में सुधार के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ प्रतिष्ठित स्थलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 पर्यटन स्थलों की सूची साझा की थी। जहां अच्छे सड़क संपर्क पहले से मौजूद है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन स्थल के दोनों ओर मार्गस्थ सुविधाएं, विशिष्ठ संकेतक और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विचार करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचाने गए 50 गंतव्यों में से 23 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दायरे में आते हैं, जहां काम प्रगति पर है।

शेष 27 पर्यटक स्थलों के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों और पीडब्ल्यूडी को कनेक्टिविटी में सुधार और वेसाइड सुविधाओं के प्रावधान के लिए पत्र संबोधित किया है क्योंकि यह मार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दायरे में नहीं आते हैं।

24 और 25 नवंबर, 2020 को राज्य/संघ शासित प्रदेश के पर्यटन विभागों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं, ताकि उन पर्यटन स्थलों पर उनके इनपुट और सुझाव प्राप्त किए जा सकें, जहां सड़क संपर्क और सड़क के किनारे की सुविधाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 114 गंतव्यों की एक सूची तैयार की गई है और इन पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

इसके अलावा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के संबंध में नवंबर, 2021 के महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम:

पर्यटन मंत्रालय ने **अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन** (आईआईटीएफ) **कार्यक्रम** - एक डिजिटल पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर **पर्यटक सुविधाप्रदाताओं** का एक पूल बनाने के लक्ष्य से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), बोली जाने वाली भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। उम्मीदवार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कहीं से भी और किसी भी समय और अपनी गति से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, वह एक पेशेवर रूप से प्रमाणित पर्यटक **सुविधाप्रदाता** होगा, जो पर्यटकों को जानकारी का प्रसार करके, देश के बारे में उनमें रुचि पैदा करके और अनुभवात्मक पर्यटन प्रदान करके उनकी सहायता करेगा। यह कार्यक्रम 01.01.2020 से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

यह डिजिटल पहल रोजगार सृजन में मदद करेगी और देश भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस योजना से देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं और गुणवत्ता के अनुभव को बढ़ाकर पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी ।

पहली बार अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाप्रदाता बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा फरवरी, 2021 में आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम मार्च, 2021 में घोषित किए गए जिसमें 2230 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। आईआईटीएफ की दूसरी बेसिक कोर्स परीक्षा 03 और 04 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें 1370 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिनमें से 841 को सफल घोषित किया गया था।

****